

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री बिरहीचंद बनाम श्री रामराय (बगौरा)

किरम मुकदमा ... शा.पत्र 111-128 ... नं० 123 ... 2021

हुकम या कार्यवाही मया इनिशियलस जख

मदत व तारीख  
अदालत को इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

9-21

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉध प्रस्तुत हुआ दर्ज सजिस्टर दिना साकार  
दिपक्षीगण को समान नोटिस जारी किये जाते । पत्रावली दिनांक 28-10-21 को  
परा था ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

11.7.21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021  
के म्य ग्राम सेतौकपुरा मे पेश हुई, अप्रार्थीगव  
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त 30 एंव  
पटवार हल्का पखारी डारा मोंका रिपरि पेश  
हुई जिसे शा.पत्र किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा  
जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली कुल  
शुमार होकर नम्बर से कम है ।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

ठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

संख्या :- 123/21 प्रा.पत्र

श्री निरंजन चन्द जी श्री लक्ष्मी लाल मुन्दडा निवासी माण्डल तहसील, माण्डल

बनाम

श्री रामराय जी श्री लक्ष्मी लाल मुन्दडा निवासी माण्डल तहसील निवासी 171 R.C. 1956 कांवेनी  
विपक्षीयता (संग विपक्षीयता) (मु. 61/1/1 प्रा.पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 17.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर

किया कि ग्राम मालीरौडा पटवार हल्का संतो कपुरा तहसील मांडल/में उसके

संयुक्त खातों की आराजी 10054, 10056 कुल किता 02

0.7968 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयता के मध्य आराजी

विवाद के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते

वस्तु खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.3.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को

न्यायिक प्रकृति से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का

आदेश जारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश

नहीं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक

प्रकृति के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालीरौडा

हल्का संतो कपुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1054/7559, 1056/7561

कुल किता 02 रकबा 0.7968 हेक्टेयर

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

गद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक मो. 61 को 500/-

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।

कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील

आदेश को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान

लिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की  
रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021